



सत्यमेव जयते


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(8)पंरावि/प्रशा./सहा.अधि.अभि./से.नि./2019/3390 जयपुर, दिनांक :- 13/12/21  
--: आदेश :-

श्री सिराज अली बोहरा, अधिशाषी अभियन्ता जिनकी जन्म तिथि 08.03.1962 है तथा अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी), जिला परिषद उदयपुर के पद पर कार्यरत है को दिनांक 31.03.2022 को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2022 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री बोहरा के विरुद्ध आज तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(डॉ. घनश्याम)  
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के विरुद्ध विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आपके द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अतः उक्त के विरुद्ध सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें साथ ही श्री सिराज अली बोहरा, अधिशाषी अभियन्ता की सेवानिवृत्ति पर इनके समस्त पेंशन परिलाभ इत्यादि का निस्तारण अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) के पद के विरुद्ध निस्तारित करावें।
6. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
7. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. श्री सिराज अली बोहरा, अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी), जिला परिषद उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)